



International Research Journal of Humanities, Language and

Literature ISSN: (2394-1642)

Impact Factor 5.401 Volume 7, Issue 1, January 2020

Association of Academic Researchers and Faculties (AARF)

Website-www.aarf.asia, Email : editoraarf@gmail.com

मौलाना हसरत मोहानी की स्वदेशी आन्दोलन में भूमिका

— डॉ० (सूफी) शकील अहमद

प्रवक्ता, इतिहास विभाग

मुमताज़ पी.जी. कॉलेज, लखनऊ

भारत में 'इन्किलाब जिन्दाबाद (Long Live Revolution) जैसे जोशीले नारे के जनक, भारत के महान सपूत, प्रेरणा के महान स्रोत, जन-सेवक एवं पक्के देशभक्त मौलाना हसरत मोहानी के नाम और उनके कारनामों को कैसे भुलाया जा सकता है जिन्होंने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार तथा देशी वस्तुओं के अंगीकार तथा उनके प्रयोग का भारत की जनता के प्रोत्साहित किया। किन्तु खेद का विषय है आज लोगों ने उनके कारनामों को नज़र अन्दाज़ (उपेक्षित) कर इतिहास के पन्ने में दबा दिया जो उनके प्रति घोर अन्याय ही कहा जा सकता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है—

‘मौत उसकी है जिसका ज़माना करे अफसोस,

यूँ तो आये हैं सभी लोग यहाँ मरने के लिए।

मौलाना हसरत मोहानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही नहीं अपितु वह प्रथम श्रेणी के शायर, लेखक एवं पत्रकार भी थे। उन्होंने अपने सम्पूर्ण जीवन अपनी कृतियों एवं ओजस्वी एवं प्रभावी भाषणों से हिन्दू-मुस्लिम एकता को प्रशस्त सूत्र में बाँधकर समस्त देशवासियों को देश की आजादी की माँग की ओर प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

मौलाना हसरत मोहानी का वास्तविक नाम सैयद फज़लुल हसन और तख़ल्लुस (उप-नाम) हसरत मोहानी था। वे इसी नाम से ही विख्यात हुए। उनके पिता का नाम सैयद अज़हर हुसैन तथा माता का नाम शहर बानो बेगम था। उनका जन्म जिला लखनऊ

के निकट कस्बा मोहान के उस मकान में हुआ था जिसे बारादरी कहा जाता था। उनका परिवार उच्च वंश सुसंस्कृत और खूब पढ़े-लिखे लोगों से सम्बन्धित था। इसीलिए लोगों के मध्य उस परिवारजन से विशेष लगाव एवं सम्मान था।

हसरत मोहानी के जन्म तिथि के विषय में विद्वानों में मतभेद है। गवर्नमेन्ट हाईस्कूल फतेहपुर (अब गवर्नमेन्ट इण्टर कॉलेज, फतेहपुर) के अनुसार उनका जन्म सन् 1883 में हुआ था। किन्तु उनके पासपोर्ट में उनकी जन्म तिथि 14 अक्टूबर, 1878 लिखी हुई है। अतः अधिकांशतः लोग उनकी जन्म तिथि 14 अक्टूबर, 1878 को ही मानते हैं। हसरत की मृत्यु 13 मई, 1951 ई० में हुई थी जिसमें सभी का एकमत है।

हसरत मोहानी का व्यक्तित्व अत्यन्त रोचक एवं असाधारण था। उनमें विभिन्न गुणों का समावेश था। उनमें अद्भुत प्रतिभा थी। वे धुन के पक्के थे उनकी प्रारम्भिक शिक्षा मियाँ सैयद गुलाम अली के मकतब में हुई। उन्होंने सन् 1894 ई. में 'मोहान मिडिल स्कूल' से मिडिल की परीक्षा केवल उत्तीर्ण ही नहीं की बल्कि प्रवीण्य सूची में प्रथम स्थान ग्रहण किया और आगे की शिक्षा में सरकारी छात्रवृत्ति के पात्र बन गये। सन् 1899 में उन्होंने गवर्नमेन्ट हाई स्कूल से ही मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके पश्चात् वे आगे की पढ़ाई के लिए एम०ओ०ए० कॉलेज, (एम०ए०ओ० कॉलेज) अलीगढ़ चले गये।

हसरत जब बोर्डिंग हाउस में दाखिल हुए तो ढीला पायजामा पहने थे। पाँव में गठीली जूती और हाथ में पानदान। इस रंग-ढंग को देखकर इनके दोस्तों ने 'खालाजान' की फब्ती ;ज्दजपदहद्ध कसी 'लेकिन बहुत जल्द ही हसरत ने अलीगढ़ के विद्यार्थियों के दिलों में ऐसी जगह बना ली कि वह 'खालाजान' से 'मौलाना' बन गए और जीवन भर इसी नाम से ही पुकारे गये।' अलीगढ़ वहीं पढ़ाई के दौरान हसरत को आज़ादी का नारा बुलन्द करने पर, तीन बार संस्था से निकाला गया।

हसरत बी०ए० की परीक्षा से पहले ही भारत की राजनीति में रूचि लेने लगे थे। उनकी देश की आज़ादी की भावना शनैः शनैः बलवती होती चली गयी। उन्होंने बी०ए० की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उस समय अंग्रेजों की नौकरी करना काफी सरल था किन्तु उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी करना पसन्द नहीं किया परिणामतः उन्होंने काफी गरीबी व मुफलिसी में ही अपने जीवन को काट डाला।

हसरत की दिली इच्छा थी कि भारत से अंग्रेजी राज का समापन हो और किसी तरह सत्ता की बागडोर भारतीयों के हाथों में आ जाये। इसीलिए वह अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विभिन्न आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे जीवन के अन्त तक यही करते रहे। 'स्वदेशी आन्दोलन' में तो उनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका थी।

मौलाना हसरत के जीवन में सबसे अधिक राजनीतिक परिवर्तन उस समय आया जब ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल के विभाजन का प्रकरण देश के सामने आया। ब्रिटिश शासन ने हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्य खाई उत्पन्न करने के उद्देश्य से बंगाल को इस प्रकार विभाजित किया कि मुस्लिम बहुजन संख्यक का क्षेत्र बिल्कुल अलग हो गया। उस समय लार्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल था। कर्जन के अनुसार— बंगाल विभाजन का मुख्य कारण बंगाल विशाल प्रान्त को दो भागों में बाँट कर शासन—व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाना था। वास्तव में कर्जन की बंगाल विभाजन योजना हिन्दू—मुस्लिम के मध्य भेदभाव उत्पन्न करके ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करना था।

19 जुलाई, 1905 को ब्रिटिश सरकार ने 'बंगाल—विभाजन' की घोषणा कर दी। बंगाल—विभाजन का भारत के हिन्दुओं और मुसलमानों ने प्रबल विरोध किया। बंगाल—विभाजन का विरोध कलकत्ता और अन्य नगरों में बड़ा व्यापक स्तर पर किया गया। 7 अगस्त, 1905 में कलकत्ता में लगभग 15000 लोगों ने विरोध में जुलूस निकाला। कलकत्ता के 'टाउन—हॉल' में एक हंगामी जलसे का आयोजन किया गया इस जलसे में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि— "यह सभा उस प्रस्ताव का समर्थन करती है जो दूर—दराज़ आयोजित कई सभाओं में स्वीकार किया जा चुका है। प्रस्ताव यह है कि बंगाल—विभाजन का निर्णय निरस्त कर दोनों (पूर्व—पश्चिम बंगाल प्रान्तों) को एक कर दिया जाये। हम इंग्लैण्ड में बनी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे।"²

स्वदेशी आन्दोलन आरम्भ बंगाल—विभाजन के विरोध में 7 अगस्त, 1905 को कलकत्ता के टाउन—हॉल में एक बैठक में इसकी विधिवत् घोषणा के पश्चात् आरम्भ हुआ। देखते ही देखते सम्पूर्ण देश में इसकी फिजा फैल गयी। 1893 ई0 के लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय ने कहा था, "वे कोरी और जुलाहे कहाँ हैं? वे लोग

कहाँ है जो विभिन्न प्रकार के उद्योग चलाकर और माल बनाकर जीवन-यापन करते थे और वे माल कहाँ है जो प्रतिवर्ष इंग्लैण्ड तथा अन्य यूरोपीय देशों को भेजे जाते थे।³

1906 ई0 में कलकत्ता अधिवेशन में मालवीय जी ने कहा, “कच्चा माल हमारे देश से बाहर जाता है और तैयार माल बनकर वापस आता है। अगर हम स्वतंत्र होते तो संरक्षण का सहारा लेते।”⁴ मालवीय जी के कथन का समर्थन मौलाना हसरत मोहानी ने प्रबल रूप से किया। मौला स्वयं भी स्वदेशी माल को खरीदने, बेचने व प्रयोग करने का हृदय से समर्थन करते थे।

बाल गंगाधर तिलक ने भी ‘बॉम्बे प्रेसिडेन्सी’ में इस मुहिम की गति को और भी अधिक बढ़ा दिया। अब आगे केवल बंगाल के एकीकरण तक ही सीमित नहीं रही बल्कि अब तो यह तय कर लिया गया कि जब तक देश को स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक यह आन्दोलन चलता रहेगा। “इस आन्दोलन को जारी रखने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने घर-घर तक पहुँचाने के लिए जन सभाएं की। उन्होंने लोगों से चन्दा एकत्र किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने अखबारों— ‘मराठा’ और ‘केसरी’ को इस अभियान का प्रमुख अंक बना दिया।”⁵

मौलाना हसरत मोहानी ‘स्वदेशी आन्दोलन’ के बहुत अधिक पक्षधर तथा प्रचारक थे। इसके लिए उन्होंने अपने लेखन कार्य एवं भाषणों का प्रबल सहारा लिया। तत्पश्चात् उन्होंने इस आन्दोलन को और अधिक सक्रिय और सफल बनाने का व्यापक स्तर पर प्रयास किया।

गाँधी जी ‘स्वदेशी आन्दोलन’ को ‘असहयोग आन्दोलन’ का अंग बनाना नहीं चाहते थे किन्तु मौलाना इसके पक्ष में थे। इसके सम्बन्ध में गाँधी जी हसरत के विषय में स्वयं ही कहते हैं— “मौलाना हसरत मोहानी के अत्यधिक आग्रह से मैं स्वदेशी आन्दोलन को ‘असहयोग आन्दोलन’ में शामिल करने के लिए विवश हो गया हूँ। यद्यपि ऐसा करने में मुझे विशेष कठिनाई हुई और सन्देह भी था।” गाँधी जी आगे यह भी कहते हैं—

“हसरत सिर्फ ब्रिटिश माल के बहिष्कार के पक्षधर हैं। लेकिन मैं उनकी राय से सहमत नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब ‘बहिष्कार आन्दोलन’ लोकप्रिय नहीं हुआ तो हमने लेसर गुड के तौर पर स्वदेशी-आन्दोलन का अंगीकार कर लिया।”⁶

गाँधी जी का मानना था कि हमें सिर्फ खद्दर कपड़ों का ही प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने 25 अगस्त, 1919 ई० को 'बम्बई-प्रेसीडेन्सी' के गवर्नर के नाम एक पत्र में लिखा था कि-

“स्वदेशी आन्दोलन से मेरा अभिप्राय यह है कि इससे तमाम भारतीयों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। यह कपड़ा करघों तथा चरखों से तैयार किया जा सकता है।”

मौलाना हसरत मोहानी केवल करघों और चरखों से बुने कपड़ों के पक्ष धर नहीं थे। उनका अपना मन्तव्य था कि यदि हमने खादी का इतने बड़े पैमाने पर प्रयोग किया तो भारत की कपड़ा मिलों को बहुत अधिक घाटा उठाना पड़ेगा और आर्थिक दृष्टि से हम लोग दसवीं-ग्यारवीं शताब्दी में चले जायेंगे। इसलिए वह खद्दर के सख्त खिलाफ थे।

‘स्वदेशी-आन्दोलन’ से गाँधी जी का आशय यह भी था कि भारतीयों को केवल भारत में निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। उनका मानना था कि जापान, लंकाशायर और फ्रांस आदि तमाम देशों के कपड़ों व अन्य निर्मित वस्तुओं के प्रयोग से बचना चाहिए।⁸ किन्तु “मौलाना हसरत का कहना था कि हमारा दुश्मन इंग्लैण्ड है। इसलिए हमें केवल उसकी बनायी हुई वस्तुओं का ही बहिष्कार करना चाहिए।”⁹ मौलाना हसरत किसी से जाती दुश्मनी नहीं रखना चाहते थे और न इंग्लैण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य देश से।

मौलाना हसरत मोहानी अपने इरादे में पक्के थे। वे जो निर्णय ले लेते, वे जीवन भर उस पर अमल करते थे। स्वदेशी आन्दोलन के सम्बन्ध में भी उनका यही हाल था। इसी संदर्भ में मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने उनके विषय में लिखा है कि:

“एक बार हसरत मोहानी उनके घर पर बैठे थे। उसी समय राजनीति में स्वदेशी-आन्दोलन आरम्भ हो चुका था। यह सर्दी का जमाना था। (घर के किसी व्यक्ति) ने उनके पायताने (पैरों की ओर) कम्बल रख दिया, वह कम्बल विलायती था। हसरत ने वह रात सर्दी में ही उसी तरह काट दी मगर उन्हीं ने कम्बल नहीं ओढ़ा।”¹⁰

सन् 1913 ई० में ‘प्रेस एक्ट-1910’ के अन्तर्गत ‘उर्दू प्रेस’ के सम्बन्ध में जब ब्रिटिश सरकार ने हसरत से तीन हजार रुपये की जमानत माँगी तो पैसों की कमी के कारण

हसरत को 'उर्दू-प्रेस' और 'उर्दू-ए-मुअल्ला' जो पेपर था दोनों को बन्द करना पड़ा। उर्दू-ए-मुअल्ला' जिसकी आमदनी थोड़ी-बहुत थी आखीरकार वह भी समाप्त हो गयी। अब वह स्वयं कहीं नौकरी भी कर नहीं सकते थे। यह उनकी सोच-समझ के बाहर था। किन्तु हसरत की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ गयी थी। लेकिन अंग्रेजों की नौकरी करना कतई पसन्द नहीं किया। अब उन्होंने कारोबार करने का इरादा किया जिससे कि उनकी आर्थिक तंगी दूर हो सके और **मासिक** सन्तोष भी प्राप्त हो सके। अन्ततः वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि एक 'स्वदेशी-स्टोर' खोला जाये और इसी के माध्यम से स्वदेशी आन्दोलन को बढ़िया क्रियात्मक रूप दिया जा सके। किन्तु उनके पास खाने के लिए दो वक्त रोटी भी नहीं थी तो पूँजी लगाने के लिए धन कहाँ से आता। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में कुदरती तौर पर उनकी सहायता हो गयी।

सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं:

“हसरत ने स्वदेशी स्टोर के नाम से स्वदेशी कपड़ों की एक दुकान खोली और इरादा किया कि देश में जगह-जगह पर इसकी शाखाएँ खोली जाएँ। उनके इस काम में नवाब वकारूल मुल्क जो स्वयं भी सादगी पसन्द थे, और मौलाना शिबली ने उनकी सहायता की। इन दोनों की सिफारिश पर फाज़िल भाई, करीम भाई से मिले और उनसे कर्ज (ऋण) पर कपड़ा खरीदा और स्टोर स्थापित कर दिया। उनकी व्यवसायिक सक्रियता देखकर मौलाना शिबली ने उनसे कहा था कि तुम आदमी हो या जिन्न, पहले शायर थे फिर राजनीतिज्ञ बने और अब बनिये हो गये।”¹¹

आरफ़ि हस्वी ने हसरत की स्वदेशी वस्तुओं के प्रति जो लगाव था, उनके सन्दर्भ में लिखा है कि:

“हसरत ने थोक वस्तुओं के विक्रेताओं से कर्ज पर वस्तुओं को इस शर्त पर खरीदा था कि बिकने के बाद ही रूपये लौटा दिये जायेंगे। हसरत ने इस स्टोर पर नाम 'मोहानी स्वदेशी स्टोर' रखा। उन्होंने यह स्टोर को अलीगढ़ में रसलगंज में स्थापित किया था।”

सैयद सुलेमान नदवी ने लिखा है कि “हसरत की इच्छा थी स्वदेशी स्टोर की शाखाएँ सम्पूर्ण देश में खुल जाये। मोइनूद्दीन अक़ील ने भी सैयद सुलेमान नदवी के इस कथन की पुष्टि की है।”¹² इससे हसरत ने एक विस्तृत योजना तो बना ली थी किन्तु

इसका क्रियान्वन (अमल में लाना) इतना सरल कार्य नहीं था। इसमें अत्यधिक धन की आवश्यकता और उतने ही सहृदयी व निष्ठावान लोगों की आवश्यकता आदि समस्याएं थी जिसका निराकरण किया जाना सम्भव न था। अन्ततः इस योजना को व्यावहारिक रूप न दिया जा सका। इसी कारण देश के किसी शहर में इसकी कोई शाखा न खुल सकी। लेकिन कुछ समय पश्चात् मौलाना की 'स्वदेशी-स्टोर' खोलने की इच्छा पूरी भी हुई। सरदार अली साबरी ने लखनऊ से प्रकाशित कौमी आवाज़ 17 जून, 1964 ई० के एक लेख में लिखा है कि—

“खिलाफ़त एवं स्वदेशी-स्टोर लिमिटेड” मौलाना हसरत मोहानी के जीवन का एक महत्वपूर्ण कारनाम है। स्वदेशी वस्तुओं के प्रचलन को बढ़ाने के लिए यह स्टोर दस लाख रुपये की स्वीकृत राशि से शुरू किया गया था। इसका उद्घाटन शेखुल हिन्द (मौलाना हुसैन अहमद मदनी) ने 1920 ई० के मध्य किया था। यू०पी० में थोक कपड़ा विक्रेताओं में यह सब से बड़ी संस्था थी। भारत की लगभग सभी कपड़ा मिलों में तैयार कपड़ा थोक के भाव पर यही उपलब्ध कराया जाता था। मौलाना हसरत मोहानी मैनेजिंग डायरेक्टर थे। डायरेक्टरों में इमामुलवक्त मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली, हाफिज़ हिदायत हुसैन बैरिस्टर तथा डॉ० जवाहर लाल रोहतगी शामिल थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन थे— खान बहादुर हाफिज़ मुहम्मद हलीम मरहूम।”¹³

सन् 1920 ई० में हसरत ने अलीगढ़ छोड़कर कानपुर में स्थायी रूप से बसने का इरादा बना लिया था। हसरत के कानपुर जाने का उद्देश्य दस लाख रुपये की राशि कानपुर में जुटाई जा सकती थी क्योंकि वह तिजारती शहर था।

यह निश्चित है कि 1920 ई० में गाँधी जी ने स्वदेशी स्टोर का उद्घाटन किया था। गाँधी जी ने 27 जनवरी, 1920 के एक पत्र में लिखा है:

“मैं प्रयाग से पंडित मोती लाल नेहरू से भेंट करके वापस आ रहा था कि कानपुर के कुछ नागरिकों ने बहुत आग्रह किया कि मैं कुछ घंटों के लिए कानपुर में रुककर स्वदेशी स्टोर का उद्घाटन करूँ। मैं इन्कार नहीं कर सका। इस क्षेत्र में अपने ढंग का यह पहला काम है। इस स्टोर को स्थापित करने में मौलाना हसरत मोहानी का हाथ है। उद्घाटन समारोह में हजारों लोग मौजूद थे और उनमें भारी उत्साह था।”¹⁴

काज़ी अब्बासी ने भी कुछ समय तक इस स्टोर में नौकरी की। वे स्वदेशी स्टोर के विषय में लिखा है—

“यह दुकान स्वदेशी कपड़े की थी। हसरत खद्दर के खिलाफ थे। न खुद पहनते थे और न दूसरों को परामर्श देते थे। वह अपनी दुकान पर बैठकर हर समय खद्दर के विरोध और स्वदेशी के पक्ष में प्रचार करते थे। आंकड़ों से युक्त भाषण हमेशा उनकी जबान की नोक पर रहता था जिसका कोई अंश मुझे याद नहीं रहा। वह सबको सुनाते रहते थे, मुझे भी सुनाया। दुकान में ज़मीन पर एक फर्श बिछा रहता था। यह दुकान सड़क से सटी हुई थी। इस पर हर समय मोटर, तांगा और आदमी चलते रहते थे। मौलाना एक निराले अन्दाज़ से दुकान के किनारे सड़क की ओर दरवाज़े से टेक लगाकर बैठते थे और हर समय कुछ न कुछ गुनगुनाते थे। समता की भावना और अनौपचारिकता उनकी बड़ी विशेषता थी। वह छोटे-बड़े सबसे राजनीतिक विषयों पर बहस करते थे और किसी भी रूप में यह प्रकट नहीं होने देते थे कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ या तुमसे ज्यादा सक्रिय अनुभव मेरे पास हैं या तुमसे बड़ा हूँ— ज्ञात करने वाला कोई विद्यार्थी ही क्यों न हो? दो महीने इसी प्रकार हसरत के साथ बीते। इस दुकान में जाजिम का मामूली फर्श बिछा हुआ था। यह राजनेताओं, विद्वानों, कवियों, शायरों, लेखकों और दार्शनिकों का तीर्थास्थल था और हसरत सब के साथ एक-समान व्यवहार करते थे। स्पष्टवादिता उनकी विशेषता थी।”¹⁵

हसरत की निगरानी में यह स्टोर ठीक-ठाक चलता रहा। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के पश्चात् स्टोर की हालत दिन-प्रतिदिन खराब होती गयी। यह बताया नहीं जा सकता कि हसरत की गिरफ्तारी के दिनों कौन स्टोर चलाता था और कौन इसकी देखभाल करता था?

हसरत की गिरफ्तारी के दौरान **मोहानी स्वदेशी स्टोर** अलीगढ़ में था। हसरत मोहानी की बेगम ने 12 जून, 1916 ई0 के पत्र में मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली को लिखा था—

“मजबूरन आज **नासिरुल हसन** ने अपने छोटे भाई को, जो दुकान में रहते हैं, नकल वगैरह के साथ इलाहाबाद भेजा है।”

फरवरी, 1924 ई० में बेगम हसरत मोहानी ने मौलाना अब्दुल बारी को लिखा—

“कानपुर स्टोर की हालत तबाह है और हर तरह के नुकसानात हो रहे हैं। दुआ कीजिए, अब मौलाना आज़ाद हो जाएं।”¹⁶

अन्ततः वह एक समय आ ही गया कि जब स्टोर को बन्द करने पर विचार किया जाने लगा। बेगम हसरत ने 2 फरवरी, 1924 ई० में अपने पत्र में लिखती हैं—

“खिलाफत की जनरल मीटिंग 5 फरवरी को होगी। मौलाना हसरत ने हकीम साहब (हलीम अजमल खाँ), इनायत हुसैन साहब, असगर साहब को जनवरी में तार रवाना किये थे कि किसी तरह स्टोर टूटने न पाये। मैंने भी ताकीदी खत लिखे थे। नतीजा खुदा मालूम।”¹⁷

11 अगस्त, 1924 को मौलाना हसरत मोहानी जेल से छूटे। किन्तु जेल जाने से स्टोर की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ चुका था। आखिरकार हसरत को विवश होकर यह स्टोर सन् 1924 के अन्त था 1925 के आरम्भ में बन्द करना पड़ा।

मौलाना न कतस ‘स्वदेशी आन्दोलन’ को सफल बनाने के लिए सर्वस्व त्याग दिया। परिस्थितियों ने उनका साथ नहीं दिया। अन्ततः उन्हें उस स्तर की सफलता न मिल सकी जिसकी उन्हें आशा थी।

सहाय्यित सामग्री

1. सैयद सुलेमान नदवी, हसरत की सियासी ज़िन्दगी, ‘निगार’ पत्रिका का हसरत नंबर, लखनऊ, पृष्ठ सं० 11
2. Reisner, Tilak and the struggle for Indian Freedom, New Delhi, 1966, Page No. 53.
3. Ramesh Chandra Majumdar, 'History of the Freedom Movement in India, Vol-2, Page 5-6.
4. डॉ० पट्टाभि सीता रमैय्या, भारतीय राष्ट्रीय का इतिहास, भाग-1, पृष्ठ सं० 41.
5. Reisner, Tilak and the struggle for Indian Freedom, New Delhi, 1966, Page No. 353.
6. S. R. Bakshi, Documents of Non-cooperation Movement, Delhi-1989, Page No. 222.

7. The Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol. XVI, Page No. 61.
8. The Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol. XVI, Page No. 125.
9. S. R. Bakshi, Gandhi and Ideology of Swadeshi, New Delhi-1987, Page No. 9.
10. सरदार अली साबरी का लेख, 'निभार' पत्रिका-1952, लखनऊ।
11. सैयद सुलेमान नदवी, दो माही पत्रिका, नवम्बर, 1981, पृष्ठ सं० 9
12. सैयद सुलेमान नदवी का लेख- 'निगार', लखनऊ, 1952
13. मोइनउद्दीन अकील, तहरीक-ए-आजादी में उर्दू का हिस्सासस, कराची, 1976, पृष्ठ सं० 403.
14. सरदार अली साबरी का लेख, कौमी आवाज़, लखनऊ, 17 जून, 1964.
15. The Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol. XVI, Page No. 513.
16. नज़-ए-मक़बूल: सम्पादक खैर, लखनऊ, 1970 काजी अदील अब्बासी का लेख-'हसरत मोहानी'।
- ' नासिरुल हसन हसरत मोहानी की बेगम के शायद भाई रहे हो और यह भी हो सकता है कि हसरत मोहानी के कारावास के दौरान स्टोर की देख-भाल वही करते रहे हों।
17. बेगम हसरत मोहानी और उनके खुतूत (पत्र), पृष्ठ: 98.

'''